कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 313/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 12.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–12.08.2026

थाना–रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

➡️ **नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

➡️ **थाना रानी की सराय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चेकपोस्ट से अभियुक्त को किया गिरफ्तार**

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.08.2026 को वादी मुकदमा थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी विशाल यादव पुत्र अज्ञात, निवासी विशुनपुर कोलापट्टी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। काफी खोजबीन के बाद भी पुत्री का पता न चलने पर थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0 214/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। मुकदमे की विवेचना के क्रम में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 12.08.2026 को उ0नि0 श्वेता दूबे मय हमराह क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश/चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त *विशाल उर्फ उमाशंकर पुत्र स्व0 सुबई यादव, निवासी विशुनपुर कोलापट्टी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़* चेकपोस्ट पर मौजूद है। जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को *ग्राम चेकपोस्ट, थाना रानी की सराय* से दिनांक 12.08.2026 को समय करीब *10:55 बजे* गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल उर्फ उमाशंकर पुत्र स्व0 सुबई यादव, निवासी विशुनपुर कोलापट्टी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 214/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्वेता दूबे, हे0का0 दिनेश यादव, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 12.08.2026

जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना दीदारगंज में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 2 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-10.09.2017 को वादी राम अवध यादव पुत्र स्व0 चौथी यादव निवासी भेड़ियाचक उल्लापुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. दिनेश यादव पुत्र रामदेव यादव 2. लालमन यादव पुत्र स्व0 मुरली यादव 3. रामलोचन यादव पुत्र अक्षयबर यादव (मृत्यु) 4. रामदेव यादव पुत्र अक्षयबर यादव निवासी डिघिया थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पौत्र ऋषिकान्त को रात 10 बजे घर से बुलाकर लेजाकर लाठी डण्डे से मारकर हत्या कर देना।

➡ अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0-233/2017 धारा-302,34,120बी भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 11 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक-12.08.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. दिनेश यादव पुत्र रामदेव यादव 2. लालमन यादव पुत्र स्व0 मुरली यादव निवासी डिघिया थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अभियुक्त 3. रामलोचन यादव पुत्र अक्षयबर यादव (मृत्यु) 4. रामदेव यादव पुत्र अक्षयबर यादव को साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्ति किया गया।